

प्रेषक,

जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,

पी0के0वी0डी0 इंटरनेशनल स्कूल वासुदेवनगर पुरे नारायण दास
प्रतापगढ़

पत्रांक/मान्यता/

19052-58

/2013-14 दिनांक 19.02.14

विषय-निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आप के तारीख 30-10-2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परस्वातुपरी पञ्चावार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं, पी0के0वी0डी0 इंटरनेशनल स्कूल वासुदेवनगर पुरे नारायण दास प्रतापगढ़ को तारीख 01-07-2013 से तारीख 30-06-2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक (अष्टेजी माध्यम) के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अध्वधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यंत मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुकिचा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निशक्तता वस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

4-1

विद्यालय परिसर का लेखांकन--

कुल निर्मित होना--

32 विद्या

और अन्य स्थापना का लेखांकन--

16 विद्या

कक्षाओं की संख्या--

16 विद्या

प्रत्येक--सह कक्षाएँ--सह भाषाएँ के लिये कम--

10

सालक और बसिमाओं के लिये पुष्कल स्वीकृत--

03

पंचायत सुविधा--

8

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई--

8

बसों सहित पशुधन

-

अव्ययन पठन सामग्री/और अन्य स्वीकृत उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता--उपलब्ध है

8

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चलाई जाएगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या औद्योगिक स्थापना का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तात्कालिक प्रयुक्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के समूह के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E-0037 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुरोधों का पालन करता है जो मान्यता सम्बंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- सतत अनुपालन के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय,

(जय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

/2013-14 दिनांक उक्तवत,

पूरा/मान्यता/

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-अपर निदेशक(बेसिक) उद्योग शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
- 2-सचिव,उद्योग बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
- 3-सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़।
- 5-खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सींगीपुर प्रतापगढ़।
- 6-कार्यालय सुस्था पत्रावली हेतु।

(जय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़